1861 का भारतीय परिषद अधिनियम

(THE INDIAN COUNCILS ACT,1861)

For:P.G.Sem-3,CC-13,Unit-4

लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई। भारत के वैधानिक इतिहास में 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम का महत्व दो मुख्य कारणों से है । एक तो यह कि उसने गवर्नर जनरल को विधान के कार्य में भारतीयों को साथ लेने का अधिकार दिया दूसरा यह कि उसने मुंबई और मद्रास की सरकार को फिर से विधान कार्य का अधिकार दिया और अन्य प्रांतों में भी वैसी विधान परिषद बनाने की व्यवस्था की। यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें **विभागीय प्रणाली** तथा **मंत्रिमंडलीय प्रणाली** की नींव रखी गई थी ।

अधिनियम के पारित होने वाली परिस्थितियां:

Scanned with CamScanner

1. 1857 के विद्रोह ने शासक तथा इंग्लैंड के बुद्धिजीवियों को इस बात का एहसास दिलाया कि भारत के प्रशासन तथा संविधान में गंभीर परिवर्तनों की आवश्यकता है । उन्हें भारतीयों से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इस बात को मुंबई के गवर्नर **Bartle Frere** ने इन शब्दों में व्यक्त किया- **जब तक आपके पास कोई वायु मापक यंत्र(Barometer) अथवा सुरक्षा कपाट (Safty Valve)के रूप में एक विचार विमर्श परिषद नहीं होगी मैं विश्वास करता हूं कि आपको इसी प्रकार के अस्पष्ट तथा व्यापक विस्फोटों से साक्षात्कार होना पड़ेगा।** इसी प्रकार के भाव सर **सैयद अहमद खान** ने भी व्यक्त किए ।उन्होंने कहा कि 1857 की घटनाओं का एक मुख्य कारण शासक और शासित वर्ग के बीच संपर्क का अभाव था।
2. 1833 चार्टर एक्ट ने कानून का केंद्रीकरण कर दिया था जिसके कारण चीजें ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती

Scanned with CamScanner

थी ।भारत एक बड़ा देश था जिसकी कानूनी समस्या केंद्र सरकार के कुछ सदस्यों द्वारा नहीं समझी जा सकती थी क्योंकि वे यहां की जनता से बहुत दूर रहते थे। इन सदस्यों के पास समय और इच्छा दोनों नहीं थे जिससे कि वे पूरे देश के लिए एक स्तर का कानून बनवा सके।

3. 1853 के एक्ट द्वारा स्थापित केंद्रीय विधान परिषद में कतिपय त्रुटियों की वजह से असंतोष व्याप्त था। यह परिषद एक प्रकार की वाद विवाद सभा अथवा एक छोटी संसद बन गई। इसने एक प्रतिनिधि सभा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार अपना लिए थे । इसने संसद की कानून बनाने की व्यवस्था अपना ली थी ।इससे विधेयक पारित होने में बहुत देर लग जाती साथ ही वह सदैव सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य भी नहीं करती थी । यही कारण है कि संभवतः1853 के 8 वर्ष पश्चात इस व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था स्थापित की गई।

Scanned with CamScanner

अधिनियम की धाराएं:

- 1861 के अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में एक और- **पांचवा सदस्य** बढ़ाया जो कि एक **विधि वृत्ति(Legal Profession)** का पद था। परिषद के 5 सदस्यों में से 3 सदस्य ऐसे व्यक्ति होने थे जो नियुक्ति से पहले भारत में कम से कम 10 वर्ष तक सेवा कर चुके हो। शेष 2 में से 1 सदस्य स्कॉटलैंड का कम से कम 5 वर्ष का अनुभवी बरिस्टर और एडवोकेट होना था।
- भारत मंत्री को सेनापति को परिषद का असाधारण सदस्य नियुक्त करने का अधिकार था। जिस प्रांत में परिषद की बैठक हो रही हो उसके गवर्नर अथवा उप- गवर्नर को असाधारण सदस्य की तरह परिषद में सम्मिलित करने की व्यवस्था भी की गई।

To be continued.....

BY:ARUN KUMAR RAI

Scanned with CamScanner